(Minutes)

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

Website : www.vmou.ac.in

61 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण (Minutes)		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय
दिनांक	:	09 अप्रेल, 2021, शुकवार
समय	:	दोपहरः 12.15 बजे

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, कोटा

माननीय सदस्यों की सूची

1.	*प्रो. आर. एल. गोदारा* कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	संभागीय आयुक्त, सी.ए.डी. ऑफिस कोटा। प्रतिनिधि, *अतिरिक्त मुख्य सचिव,* वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। श्री टी.पी. मीणा (मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, कोटा).	सदस्य
3.	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा	सदस्य
4.	*प्रो. बी. अरूण कुमार* *निदेशक, क्षैत्रीय सेवाऐं* *व.म. खुला वि.वि. कोटा*	सदस्य
5.	डा. गोपाल सिंह, से.नि. प्राचार्य, निवास– 4–ज– 27, विज्ञान नगर, कोटा।	सदस्य
6.	कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य (विशेष आमंत्रित)
7.	श्री राकेश भारतीय वित्त नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य–सचिव

V.M.O.U.

बिन्दु संख्या 61/01:– **वित्त समिति की दिनांक 07–11–2020 को सम्पन्न 60वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।**

निर्णय– समिति द्वारा गत् 60वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.11.2020 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया तथा पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या 60/02:– **वित्त समिति की 60वीं बैठक दिनांक 07.11.2020 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।**

निर्णय– समिति द्वारा गत वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना (Action Taken Report) का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या 61/03 :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 कर निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के बकाया कर को विवाद से विश्वास योजना के अन्तर्गत निर्णय हेतु प्रस्तुत।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– प्रकरण पर विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अधीन पेनाल्टी व ब्याज की छूट को देखते हुए शुद्ध राशि रू. 3,41,28,949.00 जमा कराये जाने पर सहमति दी गयी साथ ही सदस्य गोपाल सिंह की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के चार्टेड एकाउन्टेन्ट श्री धर्म मित्तल एण्ड एसोसिएट, कोटा से भी परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में निर्धारित तिथि 30 अप्रेल 2021 से पूर्व निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

बिन्दु संख्या 61/04 :– **निरीक्षण विभाग राजस्थान वर्ष 1995–96 की अवधि विशेष जांच प्रतिवेदन आक्षेप के निस्तारण हेतु प्रस्ताव।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा विचारोपरान्त गठित उप समिति की संस्तुति अनुसार विशेष जांच प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 के कुल 09 आक्षेपो को निरस्त किये जाने बाबत् प्रबन्ध मण्डल में रखे जाने की संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या 61/05 :– **आयकर नियमों के अन्तर्गत आय पर देय टेक्स की बचत हेतु Resolution हेतु प्रस्ताव।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयकर विभाग को Resolution हेतु प्रस्तुत रू. 23.41 करोड़ को निम्नानुसार व्यय किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मुख्यालय भवन निर्माण, क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर एवं जोधपुर हेतु भवन निर्माण एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के विकास कार्यो हेतु प्रावधान	रू. 12.00 करोड़
पेंशन फण्ड हेतु प्रोविजन	रू. 08.00 करोड़
उपादान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रोविजन	रू. 02.00 करोड़
तकनीकी उपकरण क्रय हेतु प्रोविजन	रू. 01.41 करोड़
कुल व्यय राशि	**रू. 23.41 करोड़**

समिति सदस्य डा. दिलीप शर्मा के सुझाव को मानते हुए आगामी बैठक में अन्य क्षेत्रीय केन्दों हेतु भी प्रस्ताव प्राप्ति पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या 61/06 :– **सामान्य प्रावधायी निधि की राशि को राजकीय कोषागार के पी. डी. खाते में जमा करवाने हेतु प्रस्ताव।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त वर्तमान में कार्मिकों के हित व अधिक ब्याज प्राप्तियों को देखते हुए पी.एफ. की जमा राशि को राजकीय कोषागार के पी.डी. खाते में जमा किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि नियमों को अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या 61/07 :– **सामग्री उत्पादन एवं वितरण के वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक पुस्तक आदि के प्रिंटिग हेतु रा.रा.स.मु. जयपुर को दिया गया अग्रिम का समायोजन करवाने हेतु प्रस्ताव।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग स्तर पर लम्बित रू. 19.72 करोड़ के अग्रिमों के शीघ्र समायोजन बाबत् प्रभावी कार्यवाही हेतु निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग को निर्देशित किया गया व शासन सचिवालय स्तर से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही कराये।

बिन्दु संख्या 61/08 :– **राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देशानुसार एफसीआरए (फॉरिन कन्ट्रीब्यूश रेगूलेशन एक्ट, 2011 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित एस.बी.आई. बैंक की मुख्य शाखा में खाता खुलवाने हेतु प्रस्ताव।**

(लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त एफ.सी.आर.ए. हेतु नई दिल्ली में बैंक खाता खोले जाने बाबत् प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर अनुमति पश्चात कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया व स्थिति से राजभवन व एफ.सी.आर.ए. विभाग को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 61/09 :– **कर्मचारी कल्याण कोष संधारण का मानदेय हेतु प्रस्ताव।**

(एस.डब्ल्यू.एफ.लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव को वर्तमान में स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 61/10 :– भारत सरकार डेब द्वारा प्राप्त अनुदान राशि एक करोड प्राप्त होने की सूचना एवं राशि के उपयोग करने की समय सीमा 30 सितम्बर 2021 किये जाने हेतु बैठक में लिये गये निर्णय की सूचनार्थ।

(डेब लेएवंवित्त)

निर्णय– समिति द्वारा अवलोकन कर व्यय की समय सीमा बढ़ाने हेतु पत्र लिखे जाने बाबत् निर्देशित किया गया।

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

बिन्दु संख्या 61/11.1 :– वित्त विभाग राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 15.10.2014 लेपटोप को वित्त विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हस्तान्तरण करने हेतु ज्ञापन प्रस्ताव।

निर्णय– समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रकरण पूर्व से ही राज्य सरकार को सन्दर्भित होने के कारण तद्नुसार अनुमति प्राप्त होने पर कार्यवाही बाबत् निर्णय लिया गया।

टेबल ऐजेण्डा

बिन्दु संख्या 61/11.2 :– विश्वविद्यालय में संविधान पार्क निर्माण एवं राजभवन स्थित विश्वविद्यालय पार्क में विश्वविद्यालय को आंवटित स्थान पर विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों, उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एलईडी वीडियो वाल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।

(नोडल अधिकारी, सम्पदा)

निर्णय– समिति द्वारा विचार– विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के भवन फण्ड से संविधान उद्यान के निर्माण हेतु रू. 200.00 लाख एवं राजभवन स्थित विश्वविद्यालय पार्क में विश्वविद्यालय को

आंवटित स्थान पर विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों, उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एलईडी वीडियो वाल

स्थापित करने हेतु नियमानुसार व्यय बाबत् राशि रू. 21.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या 61/11.3 :– परीक्षा विभाग में आन्तरिक मूल्याकन के मूल्यांकन व्यय हेतु पृथक से गोपनीय व्यय खाता खोलने हेतु प्रस्ताव।

(परीक्षा विभाग)

निर्णय– समिति द्वारा विचार–विमर्श पश्चात प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

बैठक समाप्ति पूर्व वित्त समिति के माननीय सदस्य प्रो0 गोपाल सिह जी द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में समीनार एवं कॉन्फ्रेन्स व अन्य गतिविधियां कराये जाने का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कुलपति एवं अध्यक्ष

12/4/21

नियंत्रक (वित्त) एवं सदस्य सचिव

V.M.O.U.